भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2704
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

सीमाओं का प्रबंधन

†2704. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि कोई भी व्यक्ति उचित प्राधिकार के बिना हमारी सीमा पार न करे;
(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अर्धसैनिक बलों की क्या भूमिका है;
(ग) क्या देश में बड़ी संख्या में अवैध लोगों की मौजूदगी हमारी सीमाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से लापरवाही को दर्शाती है; और
(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा-पार घुसपैठ को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भारत सरकार ने अपने सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) के माध्यम से सीमा-पार घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- **<u>सीमा निगरानी का संवर्धन</u>:** सीसीटीवी, ड्रोन तथा स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणालियों जैसे उन्नत निगरानी उपकरणों की तैनाती।
- **<u>सीमा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u>:** सुरक्षा बलों की सतर्कता और गतिशीलता बढ़ाने के लिए बाड़बंदी, सीमा चौकियों, सड़कों और हेलीपैडों का विकास।
- **<u>नियमित गश्त एवं जांच चौकियां</u>:** अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए गश्त, नाका बिंदुओं और मोबाइल टीमों के माध्यम से क्षेत्र में प्रभुत्व एवं निगरानी को सघन करना।
- **<u>आसूचना एवं समन्वय</u>:** स्थापित मंचों के माध्यम से वास्तविक समय में सूचना साझा करने के लिए आसूचना एजेंसियों और अन्य संगठनों के बीच निकट समन्वय।

- **विनियमित सीमा-पार आवागमन:** व्यक्तियों और वस्तुओं का नियंत्रित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रवेश/निकास बिंदुओं की पहचान और प्रबंधन।
- **सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता:** सीमावर्ती निवासियों को जागरूक करने तथा उन्हें अवैध गतिविधियों में सहायता देने से हतोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम।
- **सीमा-पार सहयोग:** प्रवर्तन उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ बैठकों एवं संयुक्त पहलों के माध्यम से समन्वय।
